न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2537/PBR/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.3.2013 पारित व्दारा - अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल - प्रकरण क्रमांक 434/2011-12 अपील

तुलसीराम पुत्र तुलाराम
ग्राम गजरई तहसील त्योंदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

छतरसिंह पुत्र जुमनाप्रसाद
ग्राम कजरई तहसील त्योंदा
जिला विदिश मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)

अ ा दे श
(आज दिनांक १९ - १० -2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 434/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-3-13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम कजरई में कोटवार का पद रिक्त होने पर तहसीलदार त्योंदा ने पद पूर्ति हेतु आवेदन पत्र

आमंत्रित किये। कुल 9 उम्मीदवारों ने कोटवार पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किये। तहसीलदार त्योंदा ने प्रकरण क्रमांक 20/अ-56/2010-11 में जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 5-5-2011 पारित किया तथा ग्राम कजरई के कोटवार पद पर तुलसीराम पुत्र तुलाराम को नियुक्ति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 59/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-5-12 से अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार त्योंदा का आदेश दिनांक 5-5-11 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के समक्ष अपील क्रमांक 434/11-12 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 25-3-13 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि जब अनुविभागीय अधिकारी बासोदा ने अपील क्रमांक 59/10-11 में पारित आदेश दिनांक 15-5-12 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार त्योंदा के प्रकरण क्रमांक 20/अ-56/2010-11 में आये तथ्यों का विवेचन किया है पाया गया है कि थाना त्योंदा में दिनांक 3.11.05 को बैल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जाकर 379 का मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी

एफआईआर हुई है। ग्रामवासियों के पंचनामा दिनांक10.5.2011 के अनुसार तुलसीराम आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति है तथा लड़ाई-झगढ़ा,चोरी चकारी में संलिप्त होना बताया गया है। इसके विरूद्ध थाना त्योंदा में आपराधिक रिकार्ड भी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुविभागीय अधिकारी बसोदा ने प्रकरण क्रमांक 59/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-5-12 से अपील स्वीकार की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 434/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-3-13 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-5-12 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 434/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-3-13 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर